उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक /Ref. No.: 236 /2021 दिनांक /Date.: 28/06/2021

संवाद–127

विषयः– बंदीरक्षक के कुल 213 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी किये जाने के संबंध में :–

प्रिय अभ्यर्थियों,

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा **कारागार विभाग** के अंतर्गत **बंदीरक्षक(पुरूष) के रिक्त 200 पदों** एवं **बंदीरक्षक(महिला) के रिक्त 13 पदों** अर्थात **कुल 213 रिक्त पदों** हेतु इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आंमत्रित किये गये है। ऑनलाइन आवेदन पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नानुसार है :–

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	28.06.2021
ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ की तिथि	01.07.2021
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	14.08.2021
परीक्षा शुल्क नैट बैंकिग / डेबिट कार्ड द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि	16.08.2021
शारीरिक दक्षता / लिखित परीक्षा का अनुमानित समय	माह दिसम्बर, 2021

इस पद के लिए शारीरिक माप के मानक तथा शारीरिक दक्षता की स्पधायें भी हैं। अभ्यर्थी इन पात्रताओं के साथ–साथ अन्य सभी पात्रताओं को ज्ञात व आयोग वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विवरण देखकर ही आवेदन पत्र भरें।

अभ्यर्थी आयोग वेबसाइट **www.sssc.uk.gov.in** पर जाकर Home Page पर **"बंदीरक्षक के ऑनलाइन आवेदन हेतु क्लिक करें"** को देख सकते है व क्लिक कर आवेदन पत्र खुल जायेगा।

आयोग द्वारा OTR को अनिवार्य कर दिया गया है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा OTR प्रोफाइल नहीं भरे गये हैं, उन्हें आवेदन पत्र भरने के पूर्व OTR भरना अनिवार्य है। OTR में भरी गई जानकारी या डेटा आवेदन पत्र का भाग बनेगा। अतः आवेदन पत्र भरने के पूर्व OTR को अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन पत्र भरने के पूर्व OTR की जानकारी को OTR के Edit विकल्प में जाकर संशोधित कर लें। हर प्रकार के त्रुटिरहित OTR होने पर ही आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ करें। त्रुटिपूर्व OTR तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र के कारण अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है OTR भरने में सहायता के लिए [illegible] **नं0–9520991172 या व्हाट्सएप्प नं0–9520991174 या आयोग की E.Mail–chayanayog@gmail.com** पर भी सम्पर्क कर सकते है।

सभी अभ्यर्थियों से आयोग यह अपेक्षा करता है कि वे विस्तृत विज्ञापन विवरण को सावधानीपूर्वक भरकर ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेंगे, अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण आवेदन पर अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट करना है कि एक बार अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र Final Submit कर दिया जाता है तब उन्हें आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा व त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र के कारण उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायगा। त्रुटिपूर्ण आवेदन होने पर निरस्तीकरण का उत्तरदायित्व भी अभ्यर्थी का ही है। अतः शुल्क जमा करने से पूर्व अपनी प्रत्येक प्रविष्टि व डाटा को अत्यंत सावधानीपूर्वक चैक कर लें।

किसी भी जानकारी के लिए आयोग से **दूरभाष–** 9520991172 तथा **ई–मेल chayanayog@gmail.com** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

।। शुभकामनाओं के साथ।।

28/6

(संतोष बडोनी)
सचिव।